<u>आवश्यक/तत्काल</u>

<u>संख्या:45/2025/589/2025/1890657/12-2099/27/2025</u>

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2025**

विषय:- उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि किये जाने हेतु प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में कृषि कार्यों में आय की वृद्धि एवं फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने हेतु गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि किये जाने हेतु प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

1. प्रदेश को स्वयं की आवश्यकता के बीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर करने व अन्य राज्यों के लिए बीज का उत्पादन करने के उदेश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में पांच सीड पार्क मध्य, पश्चिमी, तराई, बुन्देलखण्ड एवं पूर्वी ज़ोन में स्थापित किये जाने की योजना है। इसमें सर्वप्रथम मध्य ज़ोन में लखनऊ जनपद में स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी की 130.63 एकड़ भूमि, जो राजस्व ग्राम शाहमऊ, नौबस्ता व रूदान खेड़ा में स्थित है, पर (भूमि की उपलब्धता/उपयुक्तता के आधार पर) **चौधरी चरण सिंह सीड पार्क** की स्थापना की जायेगी। प्रथम सीड पार्क की सफलता के आधार पर अन्य 4 सीड पार्क स्थापित किये जायेंगे। प्रदेश में अन्य सीड पार्क की स्थापना कृषि विश्वविद्यालय अथवा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र की उपलब्ध भूमि पर उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी। भूमि की उपलब्धता/उपयुक्तता के आधार पर सीड पार्क 150 से 200 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया जायेगा।
2. प्रदेश में विकसित किए जाने वाले चार अन्य सीड पार्क हेतु वित्तीय उपाशय का निर्धारण यथासमय किया जाएगा एवं उसके लिए पृथक से मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभाग के आगामी तीन साल के बजट में रूपये 1250 करोड़, क्रमश: रूपये 250 करोड़, रूपये 500 करोड़, व रूपये 500 करोड़, का प्राविधान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. चौधरी चरण सिंह सीड पार्क में प्रशासनिक भवन, अवस्थापना सुविधायें, कॉमन बीज विधायन संयंत्र एवं यूटिलिटी सेवाएं, सड़क, हरित क्षेत्र तथा 26 प्लॉट की स्थापना की जायेगी। सीड पार्क में उपलब्ध भूमि को बीज उत्पादन करने वाली निजी/सरकारी संस्थाओं को विकसित प्लॉट के रूप में लीज पर बीज उत्पादन गतिविधियों के लिए, जिसमें बीज उत्पादन संयंत्र, भण्डारण सुविधायें, प्रयोगशालायें व अन्य सुविधाओं की स्थापना सम्मिलित है, प्रदान किया जायेगा।

4. बीज व्यवसाय स्थापित करने वाले उद्यमियों/कंपनियों को सीड पार्क में भूमि का आवंटन लीज के आधार पर किया जाएगा, जो कि प्रथम चरण में तीस वर्षों के लिए होगी। आवश्यकतानुसार लीज 30 - 30 वर्षों की अवधि के लिए चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा सकेगी, जो अधिकतम 90 वर्षों तक होगी। तदोपरान्त परियोजना की क्रियात्मकता की स्थिति कुछ भी होने पर उक्त भूमि समस्त भार (इन्कम्ब्रेंस) से मुक्त राज्य सरकार को वापस कर दी जायेगी।

5. सीड पार्क में उद्यमियों/कंपनियों को भूमि आवंटन का कार्य कृषि विभाग एवं यूपीडा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्लॉट का आकार निर्धारित किया जाएगा।

6. सीड पार्क में बीज व्यवसाय प्रोत्साहन हेतु सुविधाएँ एवं अनुदान की व्यवस्थाएँ निम्नवत होंगी:-

I. सीड पार्क में बीज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भूमि पर स्टांप शुल्क में शतप्रतिशत छूट प्रदान किया जायेगा।

II. सीड पार्क के परिसर में बीज प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, ताप नियंत्रण भंडारण (कोल्ड चैन सब्सिडी) एवं तकनीकी सिविल कार्य पर किये गए कुल व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5 करोड़ होगी।

III. सीड पार्क में स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड लैब, बीज परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा सकेंगी जिसके लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 5 करोड़ अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही कम्पनियों द्वारा लैब उत्कृष्टता के दृष्टिगत यथा संभव लैब को एन.ए.बी.एल. प्रत्यायन कराया जाएगा।

IV. सीड पार्क में स्थापित बीज प्रसंस्करण की इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। सीड पार्क में स्थापित बीज एवं प्रसंस्करण इकाईयों को 10 वर्ष की अवधि के लिये ED (Electricity Duty) में दी जाने वाली छूट की धनराशि की प्रतिपूर्ति कृषि विभाग द्वारा उ0प्र0 पॉवर कॉरपोरेशन लि0 को की जायेगी।

V. सीड पार्क में कॉमन सुविधायें यथा- प्रशिक्षण भवन, बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतिथि गृह आदि का आवश्यकतानुसार विकास किया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त कॉमन सुविधाओं का विकास, तत्समय विभाग द्वारा बजट का प्राविधान कराकर कार्यदायी संस्था का चयन मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 के अनुमोदन से करते हुए किया जायेगा। कॉमन सुविधाओं का संचालन व रखरखाव विभाग द्वारा अथवा उद्यमियों की इस उद्देश्य से बनाई गयी संस्था/समिति के माध्यम से किया जायेगा। इस विषय में अन्तिम निर्धारण मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 के स्तर पर किया जायेगा। विभाग द्वारा इन सुविधाओं के संचालन व रखरखाव की दशा में मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्धारित यूजर चार्ज उद्यमियों से वसूला जा सकेगा।

VI. राज्य/केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों एवं आई.सी.ए.आर. संस्थानों द्वारा सीड पार्क हेतु नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य किया जायेगा।

VII. सीड पार्क में स्थापित होने वाली बीज प्रसंस्करण ईकाइयों को उपरोक्त छूट उपलब्ध कराने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण पृथक से किया जाएगा।

7. राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, अटारी की 130.63 एकड़ भूमि पर सीड पार्क का निर्माण किए जाने हेतु भूमि के सर्किल रेट पर मूल्यांकन को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 266.70 करोड़ का व्यय संभावित है। कृषि निदेशक द्वारा सीड पार्क की स्थापना हेतु यूपीडा को धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. प्रदेश में बीज उत्पादक संस्थाओं को अपना कार्य स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सीड पार्क में संस्थाओं को भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। सीड पार्क में यूपीडा द्वारा तैयार किये गए औद्योगिक प्लॉटों को बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि की सर्किल दर पर मूल्यांकन व सीड पार्क पर होने वाले विकास व्यय के योग को उपलब्ध प्लॉटों के क्षेत्रफल में वितरित करते हुए उसके 75 प्रतिशत, को न्यूनतम प्रति वर्गमीटर दर के रूप में निर्धारित किया जाएगा। इच्छुक संस्थाओं द्वारा इस दर से अधिक पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है। सर्वाधिक दर का प्रस्ताव देने वाली संस्था को आवंटन प्रदान किया जाएगा।

9. भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने की व्यवस्था (बिड/रिवर्स आक्शन) का निर्धारण मा. कृषि मंत्री, उ0प्र0 के अनुमोदन से किया जाएगा। लीज पर दी जा रही भूमि का प्रयोग मात्र बीज उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियों के लिए ही किया जाये एवं समयबद्ध रूप से क्षेत्र में बीज उत्पादन प्रारम्भ हो, इसके लिए लीज की शर्तों का निर्धारण भी मा. कृषि मंत्री, उ0प्र0 के अनुमोदन से किया जाएगा।

10. बीज उत्पादक संस्थाओं को भूमि लीज पर दिए जाने की राशि को एकमुश्त या मा. कृषि मंत्री, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित किश्तों के आधार पर वसूल किया जाएगा।

11. उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि किए जाने हेतु प्रदेश में सीड पार्क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थापित किए जाने की योजना में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 अधिकृत होंगे।

12. राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, अटारी में स्थापित किये जा रहे चौधरी चरण सिंह सीड पार्क के लिए यूपीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस संबंध में कार्यदायी संस्था हेतु जो मानक निर्धारित हैं उनकी तकनीकी दक्षता, कार्य क्षमता इत्यादि को यूपीडा पूर्ण करता है, यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा। उक्त सीड पार्क की स्थापना में अनुभव के आधार पर विभाग द्वारा अन्य चार सीड पार्क की स्थापना के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया जा सकता है।

13. प्रदेश को बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत राजकीय कृषि प्रक्षेत्र अटारी में प्रस्तावित सीड पार्क में होने वाला व्यय प्राविधानित बजट सीमा में रहेगा। इस सम्बन्ध में कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा संगत अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों/दिशा-निर्देशों में प्रदत्त व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना किये जाने के उपरांत प्रदेश में उत्पादित सभी प्रकार के बीजों में हुई वृद्धि के आंकड़ों एवं उनका वास्तविक मूल्य को प्राप्त किये जाने की व्यवस्था कृषि विभाग के पोर्टल पर बनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका रिफ्लेक्शन राज्य आय में भी प्रदर्शित हो।

15. उक्त भूमि का स्वामित्व/प्रबन्धन कृषि विभाग का है। राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग के प्रबन्धाधीन सरकारी भूमि के संबंध में सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली, 1987 के नियम-2 के अनुसार विभाग के प्रबन्धाधीन राजकीय भूमि का प्रबन्ध कृषि विभाग द्वारा कृषि विभाग के नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि राजस्व सम्बन्धी नियमों अधिनियमों में दी गयी व्यवस्था का उल्लघंन न होने पाये।

16. प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना हेतु यदि किसी प्रकार के खनन की आवश्यकता होती है, तो शासनादेश संख्या-2860/14-2-04-65/2004, दिनांक 09.12.2004 में उल्लिखित निर्देशों/शर्तों के अनुसार वन सीमा से 100 मीटर परिधि के क्षेत्रों में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से पूर्व में ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-I.A. No.-1598-1600 in W.P.C. 202 of 1995 में दिनांक 04.08.2006 को पारित आदेश के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य प्राणि विहार तथा वन क्षेत्र से 1.0 कि०मी० की दूरी को Safety Zone माना गया है। उक्त के संबंध में वन विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18. भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.12.2009 द्वारा ईको-सेन्सिटिव जोन घोषित करने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संबंधी गाइडलाइन जारी की गयी है। राष्ट्रीय वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य के चारों ओर घोषित ईको-सेन्सिटिव जोन में लागू प्रतिबन्धों के अनुपालन का प्राविधान सुनिश्चित किया जायेगा।

19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश में बीजों के प्रसंस्करण में वृद्धि किये जाने के दृष्टिगत राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, अटारी की 130.63 एकड़ भूमि पर चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना किये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या:45/2025/589(1)/2025/1890657/12-2099/27/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासन।

15. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ।
16. जिलाधिकारी, लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 बीज विकास निगम, लखनऊ।
18. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उ0प्र0, लखनऊ।
19. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
20. निदेशक, उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।